न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 04/2016

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर		1. श्री गोकलराम पुत्र मालाराम जाति-जाट, निवासी ग्राम दांतीवाड़ा तहसील व जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत आवंटन निरस्त करने बाबत।

उपस्थितिः- 1. अपीलान्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री पर्वतसिंह भाटी उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक चौधरी उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 16.09.2019

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत अप्रार्थी गोकलराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम दांतीवाड़ा तहसील व जिला जोधपुर के विरूद्ध तहसीलदार जोधपुर द्वारा प्रार्थी गोकलराम को ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा नम्बर 465 रकबा 3.16 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में से 1000 वर्गगज भूमि बाड़े हेतु नियमन की गयी को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम दांतीवाडा के खसरा नम्बर 465 रकबा 3.16 बीघा किस्म मिसल बन्दोस्त में गै.मु आगोर एवं वर्तमान जमाबंदी में गौचर दर्ज है। राजस्थान सरकार के अनुदेश राजस्व/ख/विभाग के परिपत्र संख्या एफ.6(17)राज/ख/71 दिनांक 03 जुलाई 1971 को आधार मान कर अप्रार्थी श्री गोकलराम पुत्र श्री मालाराम जाति जाट निवासी दांतीवाडा तहसील व जिला जोधपुर को ग्राम दांतीवाडा के खसरा नं 465 रकबा 3.16 बीघा किस्म गै.मु. गौचर में से 1000 वर्गगज भूमि बाडे हेतु नियमन की गयी थी।

उक्त भूमि (राजस्व रिकॉर्ड अनुसार) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है। प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि में से किसी प्रकार का आवंटन या नियमन करना विधि विरुद्ध है। डी.बी.सी. रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में माननीय राज उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा राज्य सरकार को यह

निर्देश दिये गये है कि विशेष समिति की सिफारिशों पर विचार करे एवं केचमेन्ट एरिया के मूल स्वरुप में लाने के लिए प्रभावी कदम उठाने बाबत योजना बनाई जावे।

राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-7) विभाग के पत्र क्रमांक /प. 3(146)राज-7/204 जयपुर दिनांक 05.07.2012 को जिला कलक्टर (समस्त राजस्थान) को प्रेषित परिपत्र में माननीय राज. उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित एस.बी.सी.रिट याचिका संख्या 11153/2011 सुओमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश 29.क.2012 की अनुपालना के निर्देश दिये गये है। माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश की अनुपालना हेतु कार्य योजना तैयार करे।

राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्र क्रमांक एफ-9(9) राज-6/2011/3 जयपुर दिनांक 29.03.11 को जिला कलक्टर (समस्त राजस्थान) को प्रेषित परिपत्र में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस.एल.पी (सी.) नं. 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संदर्भित निर्णय में चारागाह भूमियो/जोहड/पायतन ओर तालाबो की भूमियों में से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए दी गयी भूमियों अर्थात किये गये आवंटनो को अवैध माना है ओर ऐसे आवंटियो को अतिक्रमी मानते हुऐ उन्हे बेदखल करने के निर्देश दिये गये है।

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 संदर्भित में दायर अपील संख्या 04/2013 ओमप्रकाश बनाम राजस्थान लोक सुनवाई अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) में अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर महोदय जोधपुर ने दिनांक 16.05.2013 को यह आदेश पारित किया की 1963-66 के मध्य तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 व 1956 के विधि विरुद्ध भूमि की किस्म परिवर्तन कर दी है। मिसल बन्दोबस्त के अनुरुप पुनः मूल स्थितियों में लाने एवं नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों एवं तहसीदारों को एक माह में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी किये गये थे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली, माननीय उच्च न्यायालय जयपुर एवं जोधपुर, अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर तथा राजस्थान सरकार सभी ने संदर्भित निर्णयों में चारागाह भूमियों/जोहड पायतन ओर तालाबो की भूमियों में से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिए दी गयी भूमियों अर्थात किये गये आवंटनो को अवैध माना है ओर ऐसे आवंटियो को अतिक्रमी मानते हुए उन्हे बेदखल करने के निर्देश दिये है। अतः प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर द्वारा अप्रार्थी

गोकलराम द्वारा विधि विरुद्ध भूमि की किस्म परिवर्तन करवा कर आवंटन/नियमन करवा लिया है को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र श्रीमान् जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 1929 दिनांक 28.12.2018 की अनुपालना में स्थानान्तरित होकर सुनवाई हेतु प्राप्त होने पर इस न्यायालय में दिनांक 02.01.2019 को दर्ज रजिस्टर किया गया।

अप्रार्थी की ओर से जवाब/प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत की गयी जिसमें बताया कि प्रार्थी द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ 06(17) राज/ख/71 दिनांक 03.07.1971 के अनुसरण में खसरा संख्या 465 में बाड़े के लिए नियमित की गई 1000 वर्गगज भूमि के आवंटन को निरस्त करवाने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया किन्तु उक्त भूमि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 03.07.1971 के अनुसरण में आवंटित की गई है इसलिए उक्त अधिसूचना को किसी भी न्यायालय द्वारा अवैधानिक नहीं ठहरवाया गया तथा उसे आज दिन तक निरस्त नहीं किया गया है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये अप्रार्थी को वर्ष 2002 में नियमन की गई भूमि का नियमन निरस्त करवाना चाहते है, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र 12 वर्ष के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय एवं निर्देश पायतन व नाडी की भूमि के संबंध में पारित किये गये है। विवादित भूमि की किस्म पायतान व नाडी से सम्बन्धित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/प्रारम्भिक आपत्तियों का प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें बताया कि प्रार्थी द्वारा जो अनुतोष चाहा गया है वह प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अन्तिम पैरा में स्पष्ट रुप से बताया है। प्रार्थना पत्र कोनसे प्रावधानों के तहत प्रस्तुत किया गया है यह एक तकनीकी मामला है इसका फायदा सार्वजनिक महत्व की बहुमूल्य सरकारी भूमि पर अवैध रुप से काबिज हुऐ व्यक्तियों को नही दिया जा सकता है। जहा नियमन धोखे से या मिथ्या अभ्यावेदन से या नियम विरुद्ध एस.डी.एम/तहसीलदार द्वारा किया जाना जिला कलक्टर के स्वयं के ध्यान में आवे या किसी के आवेदन पत्र से पता चले तो जिला कलक्टर को इसे निरस्त करने का अधिकार होगा। उक्त विवादित खसरान की भूमि मिसल बन्दोबस्त अनुसार गै.मु आगोर भूमि है। आवंटन के लिए भूमि का वर्गीकरण नही बदला जा सकता। विवादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में गै.मु आगोर लिखी गई है ना कि गौचर भूमि लिखी गई है। गै.मु. भूमि क्षेत्र जलाशय (टेंक) में पानी एकत्र होता है यानि पानी के बहाव का क्षेत्र है। जिला कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी उक्त भूमि का वर्गीकरण बदलने के लिए सक्षम नहीं है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के लिए धारित भूमि आवंटित नही की जा सकती है धारा 16 इसमें वर्जन (मना) करती है। विवादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन आगोर में दर्ज है जो सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है, ऐसी भूमि का आवंटन नियमन करने के लिए धारा 16 स्पष्ट रुप से मना करती है। अप्रार्थी ने

सार्वजनिक महत्व की बहुमूल्य सरकारी भूमि को छल व कपट से हडप कर अपराधिक कृत्य किया है। अतः प्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उक्त प्रकरण में विवादग्रस्त भूमि का खसरा नम्बर 465 में अप्रार्थी के नाम नियमन/आवंटन को निरस्त कराने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गयी जिसमें बताया कि विवादित खसरा संख्या 465 मौजा दांतीवाडा तहसील व जिला जोधपुर के क्षेत्राधिकार का है एवं मिसल बन्दोबस्त में उक्त खसरा नम्बर गै.मु. आगोर दर्ज है तथा चालू/वर्तमान जमाबंदी में गै.मु गोचर दर्शाया गया है। तालाब की तल भूमि, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और धारित की तल भूमि, पाल और बाग में तथा पानी के प्रवाह (बहाव) के लिए सुरक्षित भूमि में खातेदारी अधिकार उत्पन्न नही हो सकते चाहे कब्जा कितना ही लम्बा हो। यदि किसी गोचर भूमि पर कई वर्षो तक काश्त की गई तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस पर खातेदारी अधिकार दे दिये जावे। विवादित भूमि को उपखण्ड अधिकारी ने 12/08/1958 को चारागाह भूमि के रुप में अलग कर दिया था। खसरा परिवर्तनशील में अप्रार्थी का कब्जा अतिचारी के रुप में दर्ज था। सहायक कलक्टर ने कुछ भूमि को नियमित कर दिया। चारागाह में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं हो सकते। यदि कपट द्वारा आदेश प्राप्त किया गया तो उसे कभी भी निरस्त किया जा सकता है। आवंटन के लिए भूमि का वर्गीकरण नहीं बदला जा सकता विवादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन आगौर लिखी गई है जो एक प्रकार का जलाशय (टैंक) है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1536/2003 निर्णय दिनांक 2/08/2004 में सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि जो राजस्व अभिलेख में नाडी, तालाब, झील के नाम से अभिलिखित है और जिन पर अतिक्रमण या आवंटन के कारण उनका स्वरुप समाप्त होकर जल स्त्रोत बंद हो गये है इन्हे पुनः रिकॉर्ड में जो स्थिति 15/08/1947 में थी, अंकित किया जाने यानि दूसरे शब्दो में नाडी या केचमेंट एरिया (जलग्रहण क्षेत्र) आदि की भूमि पर वर्षो पूर्व विधिवत आवंटन कर आसामियों को खातेदारी मिल गई है, उस भूमि को पुनः 15/08/1947 को जो उन भूमि की किस्म दर्ज थी वही दर्ज की जाकर खातेदार को बेदखल किया जाने एवं सरकार को जल ग्रहण क्षेत्र (केचमेट एरिया) के पुर्नरक्षण एवं मूल स्वरुप को बनाये रखने हेतु अपने स्तर से प्रभावशाली कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। अतः प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो के विपरीत, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ के लिए धारित भूमि जब आवंटन नहीं की जा सकती को तहसीलदार नामान्तरकरण करने के लिए सक्षम नहीं होने के बावजूद नियम विरुद्ध अप्रार्थी के उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त कर मिसलानुसार रकबा पूर्व स्थिति में बहाल करने का निवेदन किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन व बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल अभिलेख तथा राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि हेतु आवंटन) नियम 1970 का भी अध्ययन किया। उक्त नियमों के तहत कृषि प्रयोजनार्थ राजकीय भूमि का गठित सलाहकार समिति द्वारा आवंटन/नियमन करने के प्रावधान है। कृषि भूमि आवंटन शर्तों का उल्लंघन होने पर नियम 14 (4) के तहत आवंटन निरस्त करने का प्रावधान है परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम दांतीवाड़ा के खसरा नम्बर 465 रकबा 3.16 बीघा गै.मु.गौचर भूमि में से 1000 वर्गगज भूमि बाड़े के रूप में तहसीलदार जोधपुर द्वारा आवंटन की गई। तहसीलदार द्वारा बाड़ा आवंटन करने की कार्यवाही को धारा 14 (4) के तहत निरस्त करने का प्रावधान नहीं है। अत: प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य होने से निरस्त किया जाकर प्रार्थी तहसीलदार जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि यदि उक्त आवंटन के इस आदेश में अंकित व अन्य नियमों व न्यायिक निर्णयों का उल्लंघन करते है तो सक्षम न्यायालय में प्रकरण/रेफरेन्स आदि नियमानुसार प्रेषित करे। निर्णय की प्रति मय अभिलेख तहसीलदार जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर